न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 141/2020 एल.आर.एक्ट GCMS No. 2020/00138

1. मुखराम पुत्र पोकरराम जाति जाट निवासी बडेरण तहसील लूनकरणसर जिला बीकानेर।

– अपीलान्ट

बनाम

1. ख्यालीराम पुत्र नानूराम जाति जाट निवासी उदेशियां तहसील लूनकरणसर जिला बीकानेर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूनकरणसर।

– रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री राजेश बैद — अभिभाषक अपीलांट्स
श्री श्यामदीन पड़ीहार — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1

निर्णय

दिनांक 16.02.2026

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लूनकरणसर के आदेश दिनांक 24.02.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादगत भूमि मौजारोही बडेरण तहसील लूनकरणसर के खसरा नंबर 478/265 तादादी 35 बीघा अपीलांट की खातेदारी भूमि है तथा अपीलांट से चिपते ही ग्राम तेजाणा में रोही में खसरा नंबर 5/246 तादादी 25 बीघा भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की बताई गई है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट मुखराम पुत्र पोकरराम उसकी खातेदारी भूमि पर जबरन कब्जा करने की नियत से सदोष अतिचार कर रहा है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर ने उक्त प्रकरण में अपने निर्णय दिनांक 24.02.2014 द्वारा अपीलांट के खिलाफ वेदखली की कार्यवाही करने के आदेश फरमायें। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर के आदेश दिनांक 24.02.2014 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

2— विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि जैर अपील पूर्णतया अपीलांट की पीठ पीछे इकतरफा तौर पर मनमाने व स्वेच्छाचारी तरीके से पारित किया गया है जिसमें अपीलांट को साक्ष्य सबूत व अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर ही नही दिया गया। मात्र 7 दिन में प्रक्रिया पूर्ण कर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अपीलांट का अपनी खातेदारी भूमि पर वर्षो से लगातार आज तक शांन्ति पूर्ण कब्जा काश्त है। अपीलांट परिवार सहित पक्की ढ़ाणी बना कर निवास कर रहा है। आदेश जैर अपील पारित करने के पश्चात स्वयं उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर ने दिनांक 07.09.2015 को जिला कलक्टर बीकानेर को उक्त दोनों गांवों की सीमाओं को लेकर उपस्थित विवाद के संबंध में स्थाई निराकरण हेतु सर्वे सीट(उपनिवेशन) 2025 के आधार पर सूची नं. 4 व 8 पुनः नये सिरे से तैयार होने पर समस्या का समाधान संभव होने की अनुसंशा की है। जिस पर जिला कलक्टर महोदय ने राज्य सरकार को नवीन अधिसूचना जारी करने हेतु पत्र दिनांक 09.12.2015 को प्रेषित किया जिस पर राज्य सरकार ने दिनांक को स्वीकृति प्रदान कर नवीन अधिसूचना हेतु प्रारूप में प्रस्ताव मांगे गये है। इस प्रकार यह स्वीकृति स्थिति है कि पैमाईश अभी तक सही स्थिति में नही हो पाई है। वादगत भूमि के संबंध में कई बार राजस्व पटवारियों की टीम गठित होकर सर्वे हो गया लेकिन सर्वे पक्षपात पूर्ण तरीके से किये जाने के कारण विवाद का वास्तविक निपटारा नही हो पा रहा है। उक्त कमेटियों को एक प्रभावशाली राजस्व कर्मचारी के प्रभाव में आकर गलत व पक्षपात पूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है। उक्त राजस्व कर्मचारी ने अपने रिश्तेदार के नाम से गांव तेजाणा में भूम खरीद की है जो बैयनामें रूप से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि है। वास्तव में रेस्पोडेन्ट नं. 1 का कही कब्जा काश्त नही है। सर्वे के नाम पर पहले से वैठे हुए काश्तकारों को जबरन कानून की आड में बेदखल करके कब्जा करने की चेष्टा में है। राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर ने उक्त प्रकरण में निर्देश प्रदान दिए है कि रेस्पोडेन्ट की भूमि के संबंध में राजस्व ग्राम तेजाणा मे जरिये पेमाईश समाधान किया जावें एवं तदोपरान्त आवश्यक होने पर अपीलांट की उपस्थिति में ग्राम वडेरण की उसकी खेत की भी पैमाईश की जावें तब तक रेस्पोडेन्ट को चिर निषेद्याज्ञा से पावंद किया जाता हैं कि वे अपीलांट के खेत ग्रावं वडेरण की सींव तोड कर प्रवेश ना करे' उक्त आदेश के विरूद्ध किसी भी न्यायालय मे कोई चाराजोही रेस्पोडेन्ट द्वारा नही की गई। इस प्रकार उक्त आदेश अन्तिम हो चुका है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश की पालना किये विना आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी गलती की हैं। अधीनस्थ न्यायालय

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

ने आदेश जैर अपील के जरिये तानाशाही तरीके से ग्राम बडेरण के सदामत काल से काबिल काश्तकारों को पुलिस इमदाद के जरिये बेदखल किये जाने के आदेश प्रदान किये है जबकि कानून अधीनस्थ न्यायालय को ऐसे अधिकार प्रदान नही करता है। आदेश जैर अपील पूर्णतया कानून के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण हर सूरत में निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में किया गया सीमाज्ञान सही नही हैं अपीलांट अपनी खाते की भूमि पर काबिज हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावें।

3— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट 1 ने अपनी बहस में कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की रोही ग्राम तेजना हाल चक 7—10 एम.जी.डी तहसील लूनकरणसर मु.न. 23/40 किला नंबर 4 ता 9, 11 ता 25 व मु. न 24/33 किला नंबर 1 ता 3 कुल 25 बीघा कमाण्ड अर्जित व निहित चले आ रहे है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 गरीब किसान खेती से ही अपने व अपने परिवार का पालन पोषण करता आ रहा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 गरीब किसान खेती से ही अपने व अपने परिवार का पालन पोषण करती आ रही है। अपीलांट का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि से कोई संबंध नही हैं। उसका खेत बडेरन की रोही में है। उनके अलग मुरब्बा व किला चकंबदी में बने हुए है। अपीलांट अपनी जोत के अलावा पानी लगने के कारण गुण्डागर्दी करके रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की जमीन पर जबरिया कब्जा कर काश्त से महरूम करने पर आमादा हैं। अपीलांट की जोत चिपती रोही बडेरन के खसरा नंबर 478/265 की 35 बीघा, कब्जा काश्त रोही बडेरन पर मौजूद हैं इसके आलावा तेजाना की जोत पर मुरब्बा बंदी में 19.03 बीघा पर विधि की पालना नही करके जबरन प्रार्थी के रकबे जोत पर सदोष अतिचार बनाए रखना चाहता हैं। सीमाज्ञान न्यायालय हाजा के आदेश से दल गठित कर दिनांक 07.06.2013 से 12.06.2013 को ग्राम बडेरन व तेजाना की फर्द मौका व माप नक्शा मौका पेमाईश अनूसार तैयार किया गया। मौका पेमाईश के अनुसार 22 काश्तकारों को रोही तेजाना की सीमा में अपने वडेरण के रकबे मे अधिक बढ़े हुए हैं। किला वंदी के अनुसार अपीलांट अपनी भूमि से अधिक 19.03 बीघा भूमि पर अतिचार वनाए रखना चाहते हैं। सर्वे मौका आधार पर चक 6—8, व 7—10 एमजीडी की हद तय हो चुकी है। उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर ने पूर्ण जांच कर एवं नियमानुसार पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधीनाधीन निर्णय पारित किया हैं। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

4— हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज तथा अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया एवं बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर ने अपीलाधीन निर्णय करते हुए अपीलांट को साक्ष्य सबूत व अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर ही नही दिया। अपीलाधीन निर्णय प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने के 7 दिवस में और एकतरफा पारित किया गया हैं। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लूनकरणसर के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.02.2014 के पश्चात अपने पत्रांक 1943–45 दिनांक 08.02.2016 द्वारा जिला कलक्टर बीकानेर को अवगत कराया कि भू प्रबंध विभाग द्वारा तैयार नक्शे में विवाद नही हैं। उपनिवेशन विभाग द्वारा तैयार सर्वेशीट में ग्राम तेजाणा व ग्राम बडेरन की सीमा में भिन्नता है। जिला कलक्टर बीकानेर उक्त उक्त पत्र के क्रम में निबंधक राजस्व मण्डल अजमेर को लिखे पत्रांक 4178 दिनांक 24.042016 दोनों ग्रामों की सीमा विवाद के निस्तारण के लिए भू–प्रबंध के वर्तमान नक्शे के अनुसार भू–प्रबंध और उपनिवेशन विभाग की संयुक्त टीम के माध्यम से पुनः चकबंदी व मुरब्बाबंदी के अनुसार सर्वेशीट तैयार करवाने की आवश्यकता बताई है। उक्त प्रकरण का निरस्तारण पुनः सर्वेशीट तैयार होने पर ही हो सकता है। अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लूनकरणसर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.02.2014 निरस्त किया जाता है तथा उक्त प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि अधिनस्थ न्यायालय उक्त प्रकरण में संबंधित सभी पक्षों को सुनकर एवं सीमा विवाद की पूर्ण जांच कर विधिसम्मत आदेश पारित करें।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 16.02.2026 का लिखिवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर